

चेक लिस्ट क्रमांक - 9

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कोरिया जिला के कोरिया वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत सोनहत एवं खडगवां ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने बाबत समस्त पहलुओं की जाँच किया गया है किन्तु अन्य कोई विकल्प वनभूमि के न्यूनतम उपयोग एवं तकनीकी दृष्टीकोण से उपयुक्त नहीं पाया गया ।

प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवेक एवं न्यूनतम हैं।



प्राधिकृत अधिकारी
टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड
वास्ते - संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

वनमंडलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल
जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़

चेक लिस्ट क्रमांक - 10

अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कोरिया जिला के कोरिया वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत सोनहत एवं खडगवां ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है एवं उनके विरुद्ध किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।



प्राधिकृत अधिकारी
टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड
वास्ते - कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

वनमंडलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल
जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़

अधिनियम वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कोरिया जिला के कोरिया वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत सोनहत एवं खडगवां ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित प्रभावित वनभूमि 4.680 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.066 हे. कुल रकबा 4.746 हे. का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

वनमंडलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल
जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि०मी० की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित है, अथवा प्रस्तावित है, या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी।

(छ०ग० शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ.5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)

टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा विकासखण्ड सोनहत अंतर्गत प्रस्तावित 15 मार्ग दूरी 39.719 कि०मी० क्षेत्रफल 1.986 हैं. में से निम्नानुसार 07 मार्ग गुरुघासी दास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा से 10 कि०मी० परिधि के अंतर्गत स्थित है।

विवरण :-

क्रं.	परिक्षेत्र	विकासखण्ड	मार्ग का नाम	कक्ष क्रं. /खसरा क्रं.	लम्बाई	क्षेत्रफल हैं.
1	सोनहत	सोनहत	भैंसवार से रजौली	कक्ष क्रं. पी. 259	1.276	0.064
	-----"	-----"	-----"	कक्ष क्रं. पी.254	0.157	0.008
2	-----"	-----"	पोंड़ी से सोनहत	कक्ष क्रं. पी.257	3.401	0.170
	-----"	-----"	-----"	खसरा क्रं. 78	0.057	0.003
	-----"	-----"	-----"	कक्ष क्रं. पी.258	1.176	0.059
	-----"	-----"	-----"	खसरा क्रं. 74	0.170	0.008
3	-----"	-----"	बेलिया से सोनहत	कक्ष क्रं. 244	0.009	0.000
	-----"	-----"	-----"	कक्ष क्रं. 245	1.084	0.054
	योग :-				7.330	0.366
4	देवगढ़	सोनहत	अकलासरई से भैंसवार	कक्ष क्रं. पी. 344	1.051	0.053
	-----"	-----"	-----"	कक्ष क्रं. पी.345	1.704	0.085
5	-----"	-----"	मझारटोला से केशगवां (भाग)	कक्ष क्रं. 365	0.738	0.037
	-----"	-----"	-----"	कक्ष क्रं. 366	0.225	0.011
	-----"	-----"	-----"	खसरा क्रं. 64	0.081	0.004
6	-----"	-----"	कैलाशपुर से घुघरा (भाग)	कक्ष क्रं. 368	2.366	0.118
7	-----"	-----"	पुसला से कटगोड़ी (भाग)	कक्ष क्रं. पी.405	0.882	0.044
	योग :-				7.047	0.352
	कुलयोग :-				14.377	0.718

उक्त के अतिरिक्त पेज नं. 87 से 92 में वर्णित शेष प्रस्तावित मार्गों जिसके 10 कि०मी० की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर न तो प्रस्तावित है नही स्थित है, तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित है।

वनमण्डल अधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर

**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं
कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र**

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कोरिया जिला के कोरिया वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत सोनहत एवं खडगवां ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर महोदय, जिला कोरिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।



प्राधिकृत अधिकारी
टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड

वास्ते - संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

वनमंडलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल
जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़

FORM-1
(For Linear Project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District collector, Korea

No: 9941/ATP/2019

Date: 06/12/2019

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliances of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed of the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, it is certified that 4.680 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. (name of the user agency) for laying Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (Purpose for diversion of forest land) in Korea District falls in within jurisdiction of Korea District i.e. Sonhat, Khadgawan Block.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire 4.680 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (Not Applicable)
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it: (Not Applicable)
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitives Tribal groups and Pre-agricultural communities. As the purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. for laying underground Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase- II (A Part of Digital India).

Collector,
District-Korea
(Chhattisgarh)

चेक लिस्ट क्रमांक -19

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कोरिया जिला के कोरिया वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत सोनहत एवं खडगवां ब्लॉक ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर महोदय, जिला कोरिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।



प्राधिकृत अधिकारी

टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड

वास्ते – संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)

रायपुर छत्तीसगढ़

वनमंडलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल

जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

(07836-232721(कार्या0) 232722 (फैक्स) Email ID:korea@nic.in)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

क्रमांक / ११५०/रीडर शाखा / 2019

बैकुण्ठपुर, दिनांक ०६ / १२ / 2019

प्रति,

✓ मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS)

स्टेट डाटा सेंटर सिविल लाईन

रायपुर (छ0ग0)

विषय : भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India) के सफल क्रियान्वयन हेतु आपके जिला क्षेत्र के कोरिया वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत खडगवां, सोनहत ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आष्टिकल फायवर केवल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित 0.066 हे. राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र CEO छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) रायपुर" के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध ।

---000---

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाइन रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा "भारतनेट प्रोजेक्ट" के तहत कोरिया जिला क्षेत्र के कोरिया वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत सोनहत एवं खडगवां ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आष्टिकल फायवर केवल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है :-

राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े के जंगल)

क्र	तहसील	ग्राम	खसरा	रकबा हे.	मद	रिमार्क
1	सोनहत	बसवाही	64	0.004	बड़े झाड़ के जंगल	
2	सोनहत	बसवाही	104	0.003	बड़े झाड़ के जंगल	
3	सोनहत	बसवाही	105	0.003	बड़े झाड़ के जंगल	
4	सोनहत	भूईहारीपारा	78	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	

क्र	तहसील	ग्राम	खसरा	रकबा हे.	मद	रिमार्क
5	सोनहत	भूईहारीपारा	74	0.008	छोटे झाड़ के जंगल	
6	सोनहत	तर्रा	170	0.002	बड़े झाड़ के जंगल	
7	खडगवां	खडगवां	408	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	
8	खडगवां	रतनपुर	105	0.010	छोटे झाड़ के जंगल	
9	खडगवां	रतनपुर	130	0.005	छोटे झाड़ के जंगल	
10	खडगवां	रतनपुर	750	0.002	छोटे झाड़ के जंगल	
11	खडगवां	रतनपुर	757	0.008	छोटे झाड़ के जंगल	
12	खडगवां	आमाडांड	291	0.006	छोटे झाड़ के जंगल	
13	खडगवां	आमाडांड	273	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	
14	खडगवां	आमाडांड	356	0.001	छोटे झाड़ के जंगल	
15	खडगवां	आमाडांड	342	0.005	छोटे झाड़ के जंगल	
योग				0.066		

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है, जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

(डोग्नन सिंह)

कलेक्टर,

जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)

चेक लिस्ट क्रमांक -20

पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कोरिया जिला के कोरिया वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत सोनद्वत एवं खडगवा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि 4.680 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.066 हे. कुल रकबा 4.746 हे. वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तन प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/42198/2019 दिनांक 05.11.2019 को आंवाटित किया गया है।

आवेदक से पंजीयन शुल्क रु. 6000.00 तथा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क रु. 18000.00 कुल राशि 24000.00 आईडीबीआई बैंक के डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 31298 तथा 31297 दिनांक 07.01.2020 को वन मण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर के नाम प्रस्तुत किया गया है। जिसे जिला कोषालय में चालान नम्बर 45 एवं 46 दिनांक 07.02.2020 द्वारा वन मण्डलाधिकारी कोरिया के पी. डी. खाते में जमा कर दिया गया है।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर

चेक लिस्ट क्रमांक -21

राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कोरिया जिला के कोरिया वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत सोनहत एवं खडगवां ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि 4.680 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.066 हे. कुल रकबा 4.746 हे. वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है जो कि किसी वन्य प्राणी परियोजना के अंतर्गत नहीं आ रहा है।

अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।

वनमंडलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल
जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़